न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 321 सन 2018
अनवान :–

1. मोडुराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. सरबती पत्नी सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. पारीदेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. सन्तोदेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. गुडडी देवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. विधादेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. महन्तोदेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. मनीदेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. लुणाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 18/6/2024

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट इस आश्य का पेश किया की रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 112 मीन की 25.00 बीधा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के पिता सहीराम पुत्र बालुराम जाति नायक साकिन ननाउ तहसील नोहर को वर्ष 1964–65 को अराजी काश्त पर आवंटन की गई थी जो पूर्व में अलाटी सहीराम पुत्र बालुराम के कब्जा काश्त में एवं सहीराम के देहान्त होने पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा सांगठिया के साबिका खसरा न0 112 की 25.00 बीधा भूमि को भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 182 की 25.10 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है हाल खसरा न0 182 की 25.00 बीधा भूमि पूर्व में अलाटी सहीराम के तथा सहीराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आवंटी सहीराम पुत्र बालुराम जाति नायक साकिन ननाउ को रोही मौजा सांगठिया के के साबिका खसरा न0 112 हाल खसरा न0 182 की 25.00 बीधा जिसे हैक्टयर में पैमुद करने पर खसरा न0 182 की 6.3230हैक्‍ में पैमुद की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है।

रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 182 की 25.00 बीधा अर्थात 6.3230हैक्‍ भूमि सहीराम पुत्र बालुराम को आवंटन की गई थी जिसका देहान्त हो चुका है सहीराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जो ...

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा ... की भूमि वर्ष 1964–65 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता सहीराम के कब्जा काश्त में रही ... फोतदगी सहीराम उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:36:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी के पिता सहीराम को वाद भूमि आवंटन होने के 10 वर्षो बाद वादी के पिता सहीराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी सहीराम के देहान्त होने पर उनकी वारिसान वादी व प्रतिवादीगण को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 182 की 6.3230हैक् हैक् भूमि का वादी व तरतीबी 2 ता 10 को बहिब का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के पिता को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर देवे तो इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जावे की रोही मौजा चक ननाउ के खसरा न0 182 की 6.3230हैक् भूमि जो वादी के पिता सहीराम को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता सहीराम के नाम व कब्जा काश्त में रही थी एवं वादी के पिता सहीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद के सम्बध में जबाब पेश किया की राज्य सरकार के परिपत्रों के अनुसार अस्थाई काश्तकारों को आराजी काश्त पर आवंटन की गई भूमि जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है को आरक्षित किमत का 10 ,20 प्रतिशत राशि जमा करवाई जाकर खातेदारी अधिकार दिये जाने उचित है एवं राज्य सरकार के हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे। पेरोकार राज का जबाब शामिल मिसल किया जाकर वादी ने साक्ष्य में शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह नही की गई एव प्रतिवादी अन्य कोई साक्ष्य पेश नही करने के कारण उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मोजा ननाउ के खसरा न0 112 मीन की 25.00 बीधा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के पिता सहीराम पुत्र बालुराम जाति नायक साकिन ननाउ तहसील नोहर को वर्ष 1964–65 को अराजी काश्त पर आवंटन की गई थी जो पूर्व में अलाटी सहीराम पुत्र बालुराम के कब्जा काश्त में एवं सहीराम के देहान्त होने पर वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

रोही मोजा सांगठिया के साबिका खसरा न0 112 की 25.00 बीधा भूमि को भू–प्रबन्धक विभाग द्वारा पैमाईश में वर्तमान /हाल खसरा न0 182 की 25.10 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई है हाल खसरा न0 182 की 25.00 बीधा भूमि पूर्व में अलाटी सहीराम के तथा सहीराम के देहान्त होने पर उसके वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

आवंटी सहीराम पुत्र बालुराम जाति नायक साकिन ननाउ को रोही मौजा सांगठिया के के साबिका खसरा न0 112 हाल खसरा न0 182 की 25.00 बीधा जिसे हैक्टयर में पैमुद करने पर खसरा न0 182 की 6.3230हैक् में पैमुद की गई थी जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैरखातेदार दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:42 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 [illegible] की 25.00 बीधा अर्थात 6.3230हैक् भूमि सहीराम पुत्र बालुराम को आव[illegible]न्त हो चुका है सहीराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जिसके जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जो वर्तमान जमाबन्दी [illegible] दर्ज है

रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 112 की भूमि वर्ष 1964–65 को आवंटन की गई थी जो पूर्व में वादी के पिता सहीराम के कब्जा काश्त में रही है वाद फोतदगी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

सहीराम उसके वारिसान वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज के कब्जा काश्त में चली आ रही है

वादी के पिता सहीराम को वाद भूमि आवंटन होने के 10 वर्षो बाद वादी के पिता सहीराम नियामानुसार खातेदार हो गये थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में आज भी सहीराम के देहान्त होने पर उनकी वारिसान वादी व प्रतिवादीगण को गैरखातेदार दर्ज कर रखा है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों को हनन होता है वादी उनके पूर्वजो को आवंटन की गई भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा ननाउ के खसरा न0 182 की 6. 3230हैक्ट भूमि का वादी व तरतीबी 2 ता 10 को बहिब का खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की वाद भूमि सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वाद भूमि वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र के अन्तर्गत आती है बारानी क्षैत्रो में आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटित रकबा के उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है एवं राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा ननाउ के साबिका खसरा न0 112 की कुल 25.00 बीधा भूमि सहराम पुत्र बालुराम जाति नायक साकिन ननाउ को वर्ष 1964–65 में आराजी काश्त पर आवंटन की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से पूर्णत्या साबित है।

आवंटि सहीराम पुत्र बालुराम का देहान्त हो चुका है जिसका जायज वारिसान वादी एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 है जिनके नाम भूमि विरास्तन से बतौर गेरखातेदार दर्ज है वाद भूमि आवंटन होने पर पूर्व में वादी के पिता सहीराम के एव वादी के पिता सहीराम के देहान्त होने पर वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर गेरखातेदार वादी एव प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम दर्ज है उक्त तथ्यो कें सम्बध में पेरोकार राज ने किसी प्रकार को कोई ऐतराज पेश नही किया गया है।

अर्थात वाद भूमि सहीराम वल्द बालुराम को वर्ष 1965–66 को आराजी काश्त पर आवटित की गई थी जो प्रस्तुत आवंटन आदेश से साबित है आवंटन के समय से आंवटित भूमि पूर्व में वादी के पिता सहीराम के कब्जा काश्त में थी एवं वादी के पिता आवटी सहीराम के देहान्त होने पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के कब्जा काश्त में चली आ रही है जो प्रस्तुत गिरदावारीयों से साबित है वाद भूमि पर कब्जा काश्त के सम्बध में पेरोकार राज को किसी प्रकार का ऐतराज नही है।

प्रस्तुत जमाबन्दीयों के अवलोकन से पाया की वादी के पिता सहीराम राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 लागू होने से पूर्व का काश्तकार साबित है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 15 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है जो काश्तकार 15.10.1955 को जिस भूमि को काश्त /काबिज है वह उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है जिसे बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे अर्थात वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के ताबें भी बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में रोही मौजा ननाउ के साबिका खसरा न0 112 की 25.00 बीधा भूमि को हाल [illegible] बीधा में परिवर्तन कर पैमुद कर दी गई है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत[illegible] है।

वादी के पिता सहीराम [illegible] खसरा न0 112 में भूमि आवंटन की गई थी जो हाल खसरा न0 182 में परिवर्तन हो चुकी है अर्थात हाल खसरा न0 182 की भूमि वादी के पिता सहीराम को आ[illegible]त की गई जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता सहीराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से गैरखातेदारी दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी का कथन है कि वाद भूमि उसके पूर्वज सहीराम को आवंटन की गई थी आवंटन आदेश की शर्तो के अनुसार वादी का पिता आवंटन के 10 वर्ष बाद खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना था अर्थात आवटन आदेश में अंकित समस्त भूमि को बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाना चाहिये वाद भूमि को भी बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज का कथन है कि वादी के पिता को बारानी क्षेत्र में भूमि आवंटन की गई थी वर्तमान में वादी के पिता सहीराम को आवंटन की गई भूमि उपनिवेशन क्षेत्र में आती है अब वादी उपनिवेशन नियमों के तहत किमतन खातेदारी अधिकार प्राप्त किये जा सकते है।

राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर 1957/1970 के तहत आवंटित भूमिया जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षैत्र में आ गई है के खातेदारी अधिकार दिये जाने के सम्बध में परिपत्र /अधिसूचना जारी की गई है वादी उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त कर सकता है एवं वादी इसके लिये सहमत भी है।

राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 के तहत आवंटन की गई थी जो बाद में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गयी इसप्रकार की भूमियों के खातेदार अधिकार प्रदान करने के लिए राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 07.03.2008 द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गाधी नहर परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1955 के नियम 17 में संशोधिन किया गया है कि जो भूमि 1957/1970 के नियमो के तहत आवंटित थी और वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आ गई है उसके खातेदार अधिकारो के लिए अनु0 जाति अनु0 जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग व बीपीएल परिवारो से परियोजना क्षेत्र की निर्धारित आरक्षित दर का 10 प्रतिशत व अन्य जातियों के लिए 20 प्रतिशत राशि एक मुश्त वसूल कर खातेदारी अधिकार दिये जा सकते है। इस परियोजना क्षेत्र में भाखरा नहर परियोजना क्षेत्र के नियम व आरक्षित दरे लागू है। अधिसूचना दिनांक 07.03.2008 निम्नानुसार है :–

"Provided also that subject to the general or specific directions of the state Government, the temporary cultivation lease holders to whom land has been allotted under the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Whether they have acquired khatedari rights or not under the said rules and after declaration of such area as colony, such temporary cultivation lease holders shall be eligible for permanent allotment to the extent of ceiling limit under these Rules on the payment of 20 % of the reserve price of general allotment in one installment but in case of persons belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes or BPL Families, they shall pay 10% of the reserve price of general allotment in one installment."

इसी संबंध में राजस्व (उपनिवेशन) विभाग जयपुर के पत्रांक प–4 (2) उप/2005 जयपुर दिनांक 02.01.2008 द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया है कि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1957/1970 में भूमि का अस्थायी आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि आवंटन से पहले गैर खातेदार के रूप में दर्ज किया जाता है एवं बाद में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाते है। ऐसी स्थिति में अस्थायी कृषि पट्टा धारक में नियम 1957/1970 के गैर खातेदारी [illegible] माना जाकर कार्यवाही की जावे।

राजस्थान उपनिवेशन विभाग की अधिसूचना [illegible] 4(11) कोलो/96 दिनांक 18.01.2010 के परन्तु के अनसार कोई [illegible] राजस्व (कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन) नियम 1970 के उपबन्धो के अधीन भूमि आवटित की गयी थी और तत्पश्चात ऐसा क्षेत्र उपनिवेशन ज्ञेत्र घोषित हो गया था और ऐसे आंवटियों को अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

खेती पटटा धारक माना गया था भूमि कुल कीमत का संदाय करने पर तुरन्त वह खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने वाली सनद प्राप्त करने का हकदार होगा।

इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम 1970 के तहत गैर खातेदार दर्ज आसामियों को अस्थायी काश्तकार माना जाकर उक्त अधिसूचना दिनांक 07.03.08 के अनुसार एक मुश्त राशि वसूल कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।

वादी के पिता सहीराम जाति नायक साकिन ननाउ (जो अनुसूचित जाति वर्ग जाति का सदस्य है) को रोही मौजा ननाउ के साबिका खसरा न0 112 हाल खसरा न0 182 की कुल 6.3230हैक्‍ भूमि आवंटन वर्ष 1964–65 को अराजी काश्त पर आवंटन की गई थी है जो आवंटि सहीराम वल्द बालुराम के देहान्त होने पर उसके वारिस वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 के नाम बतौर गेरखातेदार दर्ज है जिसके सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही हुआ है वाद भूमि वादी के पिता सहीराम को आवंटन नियम 1957 के तहत भूमि आरजी काश्त पर आवटन की गई है जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है।

आवंटन नियम 1957/1970 के तहत आवंटन भूमियो जो वर्तमान में उपनिवेशन क्षेत्र में आती है के खातेदारी अधिकारी दिये जाने हेतु राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर उक्तानुसार परिपत्र/अधिसुचनाए जारी की गई है उन्ही के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जारी परिपत्र/अधिसुचनाओं के परिपक्ष्य में साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 719/710 के खसरा न0 182 की कुल 6.3230हैक्‍ भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पर्चा डिक्री जारी कि जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/06/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास में सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:42 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– पंकज गढत्रवाल (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. मोडुराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

2. सरबती पत्नी सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
3. पारीदेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
4. सन्तोदेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
5. गुडडी देवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
6. विधादेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
7. महन्तोदेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
8. मनीदेवी पुत्री सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
9. लुणाराम पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।
10. ओमप्रकाश पुत्र सहीराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 321 सन 2018 निर्णय दिनांक – 18/06/2024

आज यह वाद मुझ पकंज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 719/710 के खसरा न0 182 की कुल 6. 3230हैक भूमि जो वर्तमान में भाखडा नहर परियोजना क्षैत्र में आती है की आरक्षित दर 4000/– प्रतिबीधा का 10 प्रतिशत 400/–प्रतिबीधा की दर से राशि एक मुश्त जमा होने के बाद वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 10 को खातेदार काश्तकार धेाषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर जमाबन्दी सशोधन की जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18/06/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:56:42 IST
Reason: SelfAttested